The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992

Act No. 27 of 1992

Keywords:

Leakage of Question Paper

Amendment appended: 5 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	Regd. No. RJ. 2539 RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
	अधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

कार्तिक 20, बुधवार, शाके 1914--नवम्बर 11, 1992

Kattika 20, Wednsday, Saka 1914 November 11, 1992

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(प्रकोष्ठ-2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर, 11, 1992

संख्या प. 2 (39) विधि/2/92.-राजस्थान विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल की अनुमति दिनांक 8 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्या 27)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हुई]

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के प्रकटन को और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए और उनसे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में,—

(क) "परीक्षा-केन्द्र" से, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कोई भी स्थान अभिप्रेत है और उसमें उससे संलग्न सम्पूर्ण परिसर सम्मिलित है;

(ख) "सार्वजनिक परीक्षा" से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) किसी परीक्षा के संबंध में "अनुचित साधन" से, किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी लिखित, अभिलिखित या मुद्रित सामग्री से किसी भी रूप में अप्राधिकृत सहायता या किसी भी अप्राधिकृत दूरसंचार, बेतार या इलेक्ट्रोनिक अथवा अन्य उपकरण या यंत्र का उपयोग अभिप्रेत है;

(घ) इसमें प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित किये गये हैं ।

3. अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध.—कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा ।

4. प्रश्न-पत्र का अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटन.—कोई भी व्यक्ति, जो ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत या अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रश्नपत्रों के वितरण के लिए नियत समय के पूर्व—

(क) ऐसा प्रश्न पत्र या उसका कोई भी भाग या प्रति उपाप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा, या ।

(ख) ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके, ऐसे प्रश्न-पत्र से संबद्ध , प्राप्त या संबंधित होने की वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है ।

5. परीक्षा-कार्य न्यस्त व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम.—कोई भी व्यक्ति जिस पर सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य न्यस्त किया गया है, सिवाय वहां के जहां उसे ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात किया गया है, कोई भी ऐसी सूचना या उसका भाग, जो उक्त कार्य उस पर इस प्रकार न्यस्त किये जाने के आधार पर उसकी जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट नहीं करवायेगा या नहीं बतायेगा ।

6. शास्ति.—जो कोई भी धारा 3 या धारा 4 या धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जायेगा ।

17. उपहति कारित कर ; की तैयारी के साथ अपराध करने के कारण शास्ति.—जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने या किसी भी व्यक्ति को उपहति कारित करने या किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए य ा किसी भी व्यक्ति को सदोष अवरुद्ध करने के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु या उपहति या हमले या सदोष अवरोध का भय पैदा करने के लिए तैयारी करके धारा 6 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और ऐसे जुर्माने का, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी भी होगा ।

8. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.—राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी किसी भी अन्य सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में सम्मिलित कर सकेगी जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझे और राज-पत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गयी समझी जायेगी ।

अनुसूची

(धारा-2)

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 42) के अधीन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा ।

2. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा ।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा ।

जे. पी. बंसल,
शासन सचिव ।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(Group-II)
NOTIFICATION

Jaipur, November 11, 1992.

No. F. 2 (39) Vidhai/2/92.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sarvajanik Pareeksha (Anuchit Sadhanon

ki Roktham) Adhiniyam, 1992 (Adhiniyam Sankhya 27 of 1992):—

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIRMEANS) ACT, 1992

(Act No. 27 of 1992)

(Received the assent of the Governor on the 8th day of November, 1992)

An

Act

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans at public examinations and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Act,—

(a) "examination centre" means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto;

(b) "public examination" means any of the examination specified in the schedule;

(c) "unfairmeans" in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget; and

(d) the words and expressions used herein and not defined, but defined in the Indian Penal Code (45 of 1860), have the meanings respectively assigned to them in that code.

3. **Prohibition of use of unfairmeans.**—No person shall use unfairmeans at any public examination.

4. **Unauthorised possession or disclosure of question paper.**—No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall, before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination—

(a) procure or attempt to procure or possess, such question paper or any portion or copy thereof; or

(b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to, or derived from or to have a bearing upon such question paper.

5. **Prevention of leakage by person entrusted with examination work.**—No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly, or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

6. **Penalty.**—Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

7. **Penalty for offence with preparation to cause hurt.**—Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any

person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.

8. **Power to amend Schedule.**—The State Government may, by notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

THE SCHEDULE

(Section 2)

1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education for Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, 1957 (Act No. 42 of 1957).

2. Any examination conducted by any University established by law in India.

3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commission or Union Public Service Commission.

जे. पी. बंसल,

Secretary to the Government.

6

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

चैत्र 16, बुधवार, शाके 1944-अप्रेल 6, 2022

Chaitra 16, Wednesday , Saka 1944- April 6, 2022

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 6, 2022

संख्या प.2(12)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रेल, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्‌द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 5)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रेल, 2022 को प्राप्त हुई)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1992 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 की धारा 8 का संशोधन.- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम सं. 27) की धारा 8 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "आवश्यक समझे और" के पश्चात् और विद्‌यमान अभिव्यक्ति "राज-पत्र में प्रकाशित" से पूर्व, अभिव्यक्ति ", किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची से अपवर्जित कर सकेगी और" अंत:स्थापित की जायेगी।

प्रवीर भटनागर,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, April 6, 2022

No. F. 2(12)Vidhi/2/2022.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Sarvjanik Pareeksha (Anuchit Sadhanon Kee Roktham) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (2022 Ka Adhiniyam Sankhyank 5):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIRMEANS) (AMENDMENT) ACT, 2022

(Act No. 5 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 5th day of April, 2022)

An
Act

further to amend the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (l) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 27 of 1992.– In section 8 of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 (Act No. 27 of 1992), after the existing expression "this Act and" and before the existing expression "upon the publication", the expression ", exclude from the Schedule any public examination and" shall be inserted.

प्रवीर भटनागर,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।